विषयः–विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 का प्रदाय किये जाने के संबंध में।

––00––

विधि और विधायी कार्य विभाग का वार्षिक विभागीय प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 की एक मुद्रित प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए जाने की कार्यवाही की जावें।

संलग्न : प्रतिवेदन की एक प्रति।

07-03-2020

(लालचन्द मेहरचन्दानी)
अनुभाग अधिकारी
न्यायिक शाखा–1

4710
09/03/2020

आई.टी. शाखा

Nasir Sir – (Nemi Teep)

मध्यप्रदेश शासन

विधि और विधायी कार्य विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2019–2020

जनवरी 2020

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2020

मध्यप्रदेश शासन

विधि और विधायी कार्य विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2019–2020

जनवरी 2020

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2020

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

विभागीय संरचना

विधि मंत्री — माननीय श्री पी.सी. शर्मा

सचिवालय

1.	प्रमुख सचिव	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	उच्च न्यायिक सेवा
2.	सचिव	श्री गोपाल श्रीवास्तव	उच्च न्यायिक सेवा
3.	सचिव	श्री. रत्नेशचंद्र सिंह बिसेन	उच्च न्यायिक सेवा
4.	सचिव	श्रीमती रश्मि अग्रवाल	उच्च न्यायिक सेवा
5.	अतिरिक्त सचिव	1. श्री आर.के. गुप्ता	उच्च न्यायिक सेवा सेवानिवृत्त (संविदा नियुक्ति)
		2. श्री अभय कुमार	उच्च न्यायिक सेवा सेवानिवृत्त (संविदा नियुक्ति)
		3. श्री शिवचरण पाण्डेय	उच्च न्यायिक सेवा
		4. श्री संतोष प्रसाद शुक्ल	उच्च न्यायिक सेवा
		5. श्री जी.सी. शर्मा	उच्च न्यायिक सेवा
		6. श्री रूपम वेदी	उच्च न्यायिक सेवा
		7. श्री राजेश यादव	सचिवालयीन सेवा
6.	उप सचिव	——	
7.	अवर सचिव	1. श्री महेन्द्र कुमार जैन	सचिवालयीन सेवा
		2. श्रीमती रजनी पंचौली	सचिवालयीन सेवा
		3. श्री सी.एल. मुकाती	सचिवालयीन सेवा
		4. श्री आर. पी. गुप्ता	सचिवालयीन सेवा
		5. श्रीमती चंद्रकान्ता चौरसिया	सचिवालयीन सेवा
8.	स्टाफ आफिसर	श्री अनिल शर्मा	सचिवालयीन सेवा
9.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	श्री हरनाम सिंह चौहान	वित्त एवं लेखा सेवा

———————

विधि और विधायी कार्य विभाग

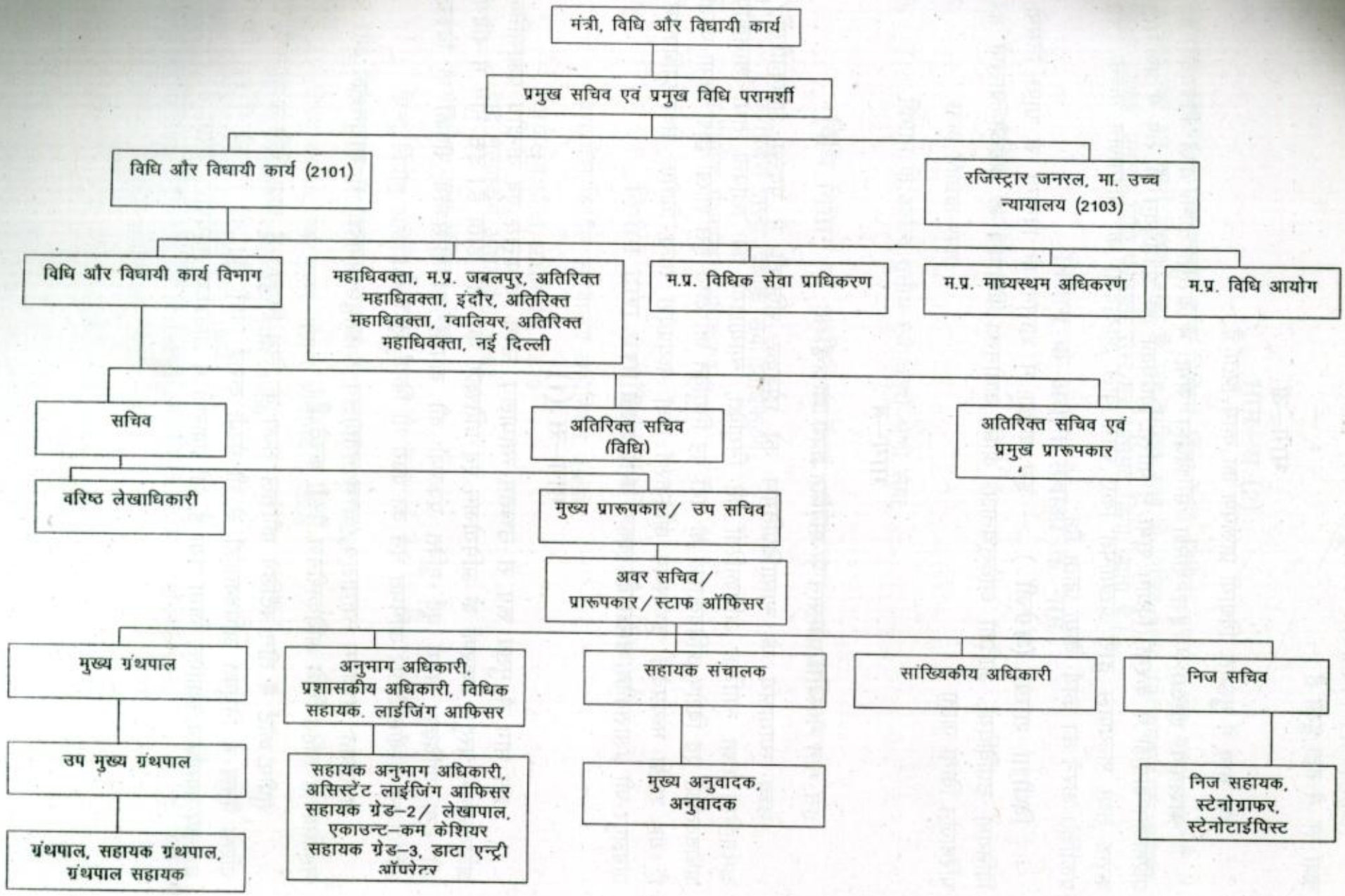

विधि विभाग नियमावली के अनुसार विधि विभाग का कार्य तीन भागों में अर्थात् 'अ', 'ब' तथा 'स' में बंटा हुआ है :–

भाग–अ

इस भाग में मुख्यतः विधायी प्रारूपण का कार्य होता है :–

प्रारूपण शाखाः– इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

विधीशा शाखा (अंग्रेजी) :– इस शाखा में शासन के विभागों से प्राप्त नियमो, विनियमों उपविधियों, आदेशों अधिसूचनाओं आदि अधीनस्थ विधायन के अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन किया जाता है।

भाग–ब

इस भाग में न्याय प्रशासन से संबंधित कार्य होता है:–

उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण को छोड़कर रजिस्ट्री में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों तथा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों की स्थापना तथा शासकीय अधिवक्ताओं एवं विशेष अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है. यह शाखा मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की प्रशासकीय शाखा के रूप में कार्य करती है।

भाग–स (1)

इस भाग में मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणों के अभियोजन एवं प्रतिरक्षण का कार्य होता है। इस भाग में बंदियों की दया याचिका, समय पूर्व मुक्ति प्रकरणों की वापसी एवं शासकीय सेवकों के विरूद्ध अभियोजन अस्वीकृति पर अभिमत देने का कार्य भी किया जाता है।

सामान्यतः उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से महाधिवक्ता सहित विधि अधिकारीगण पैरवी करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में तीन स्टेंडिंग कौंसिल राज्य के लिये नियुक्त है तथा विभिन्न कनिष्ठ एवं वरिष्ठ पैनल में नियुक्त अधिवक्ताओं से भी पैरवी कराई जाती है। नई दिल्ली में इस विभाग का उप कार्यालय स्थापित किया गया है, जो प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करता है।

भाग–स (2)

परामर्श शाखा.– इस शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरणों में अभिमत देने का कार्य किया जाता है. उप सचिव स्तर से सचिव स्तर तक प्रकरण का परीक्षण किया जाकर, प्रमुख विधि परामर्शी स्तर पर अभिमत दिया जाता है।

विभाग के अधीन सेवाओं के नाम

1. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा
2. राज्य विधिक सेवा,
3. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा,

विधि विभाग के अधीन कार्यरत अधिकरण एवं प्राधिकरण

1. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
2. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण,

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958
2. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870
3. वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887
4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
6. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
7. हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956
8. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
9. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
10. पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936
11. विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869
12. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939

13. संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866
14. भारतीय किश्चियन विवाह अधिनियम, 1872
15. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
16. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
17. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
18. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
19. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
20. प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920
21. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
22. शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913
23. महाप्रशासक अधिनियम, 1963
24. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
25. शपथ अधिनियम, 1969
26. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
27. मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गो के लिए विधिक सहायता तथा राज्य विधिक सलाह अधिनियम, 1976
28. अधिवक्ता अधिनियम, 1961
29. नोटरी अधिनियम, 1952
30. न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971
31. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
32. दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932
33. माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996
34. परिसीमा अधिनियम, 1963
35. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983
36. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
37. मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982
38. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ को अपील अधिनियम, 2005
39. मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण अधिनियम, 2015
40. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008

अध्याय–दो

बजट अनुभाग

वित्त वर्ष 2019–20 में विभाग को *मांग संख्या 29*–विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार राशि स्वीकृत है:–

(आंकड़े हजार में)

संक्षिप्त विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2019–2020		
	मतदेय	भारित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
एक– राजस्व अनुभाग			
2014 न्याय प्रशासन			
(102) उच्च न्यायालय	18,83,44	1,82,86,84	2,01,70,28
(105) सिविल और सत्र न्यायालय (मतदेय)	10,39,07,86	0	10,39,07,86
(114) विधि सलाहकार और परामर्शदाता (मतदेय)	47,81,59	0	47,81,59
(800) अन्य व्यय	76,54,23	0	76,54,23
योग–लेखाशीर्ष 2014	**11,82,27,12**	**1,82,86,84**	**13,65,13,96**
2015–निर्वाचन			
(102) निर्वाचन अधिकरी	51,83,28	0	51,83,28
(103) निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	81,11,03	0	81,11,03
(105)संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार	2,34,30,22	0	2,34,30,22
(106) राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिये प्रभार	58,30,24	30,00	58,60,24
(108)मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	15,05,90	0	15,05,90
योग लेखाशीर्ष 2015	**4,40,60,67**	**30,00**	**4,40,90,67**
2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं			
(090) सचिवालय	26,96,87	0	26,96,87
(091) संलग्न कार्यालय	5,35,59	0	5,35,59
(800) अन्य व्यय	2,83,85	0	2,83,85
योग–लेखाशीर्ष 2052	**35,16,31**	**0**	**35,16,31**
2225–अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कार्यक्रम			
(01)– अनुसूचित जातियो का कल्याण			
(800)–अन्य	36,82,37	0	36,82,37
योग–लेखाशीर्ष 2225	**36,82,37**	**0**	**36,82,37**
2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
(60) अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यकम			
(200) अन्य कार्यकम	65,34,62	0	65,34,62
योग लेखाशीर्ष 2235(मतदेय)	**65,34,62**	**0**	**65,34,62**
योग एक राजस्व अनुभाग	**17,60,21,09**	**1,83,16,84**	**19,43,37,93**

दो–पूंजी अनुभाग			
4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01–कार्यालय भवन 051–निर्माण	1,34,00,00	0	1,34,00,00
योग लेखाशीर्ष 4059	**1,34,00,00**	**0**	**1,34,00,00**
4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01–सरकारी रिहायशी भवन 106–साधारण पुल आवास	53,00,00	0	53,00,00
योग लेखाशीर्ष 4216	**53,00,00**	**0**	**53,00,00**
7610–सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
(202)–मोटर वाहन का कय करने के लिए अग्रिम	4,00	0	4,00
योग लेखा शीर्ष–7610	**4,00**	**0**	**4,00**
योग दो–पूंजी अनुभाग	**1,87,04,00**	**0**	**1,87,04,00**
योग मांग संख्या–29–न्याय प्रशासन	**19,47,25,09**	**1,83,16,84**	**21,30,41,93**

वित्त वर्ष 2019–20 के प्रथम अनुपूरक अनुमान मे निम्नानुसार राशि स्वीकृत है:–

(आंकडे रूपये में)

2014–न्याय प्रशासन			
(105) सिविल और सेशन न्यायालय	10,00,00	0	10,00,00
योग लेखाशीर्ष 2014	**10,00,00**	**0**	**10,00,00**

वित्त वर्ष 2019–20 हेतु अभिभाषक संघ के पुस्तकालयों के लिये पुस्तके कय करने हेतु रू. 9,09,000/– का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें 31 दिसम्बर 2019 तक अभिभाषक संघो को निम्नानुसार अनुदान प्रदाय किया गया है :–

क्रं.	अभिभाषक संघ का नाम	राशि
1.	जिला अभिभाषक संघ सीधी	25000/-
2.	जिला अभिभाषक संघ देवास	25000/-
3.	अभिभाषक संघ ओरछा जिला निवाडी	25000/-
4.	अभिभाषक संघ पृथ्वीपुर जिला निवाडी	25000/-
5.	अभिभाषक संघ जतारा जिला टीकमगढ़	25000/-
6.	जिला अधिवक्ता संघ टीकमगढ़	25000/-
7.	जिला अधिवक्ता संघ निवाडी	25000/-
8.	अभिभाषक संघ खिरकिया जिला हरदा	50000/-
9.	अभिभाषक संघ खाचरौद जिला उज्जैन	25000/-
10.	अभिभाषक संघ बागली जिला देवास	25000/-
11.	जिला अभिभाषक संघ जिला झाबुआ	250000/-
12.	अभिभाषक संघ पटेलवाद जिला झाबुआ	75000/-
13.	अभिभाषक संघ थांदला जिला झाबुआ	75000/-
14.	अभिभाषक संघ गाडरवाडा जिला नरसिंहपुर	50000/-
15.	अभिभाषक संघ धरमपुरी जिला धार	25000/-
16.	जिला अभिभाषक संघ मुरैना	100000/-

अध्याय–तीन

कार्य एवं उपलब्धियाँ

न्यायिक शाखा (एक)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के लिये उच्च न्यायालय, जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय, जबलपुर की खण्डपीठ, ग्वालियर तथा इंदौर में है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधिपतिगण के 53 पद स्वीकृत है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार राज्य में स्थापित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। राज्य में जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय के अतिरिक्त दण्ड न्यायालयों के रूप में सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय कार्यरत है। विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों का निराकरण किये जाने के लिए विशेष न्यायालय जैसेः–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम, म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का विचारण किये जाने के लिए विशेष सेशन न्यायाधीश के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। रेल अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटारा किये जाने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत स्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय पृथक से स्थापित हैं। ऐसे न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायालय भी विशेष मामलों के निराकरण के लिए राज्य में कार्यरत हैं।

वर्ष 2019 की न्यायिक शाखा–एक से संबंधित विभागीय उपलब्धियों की जानकारी

- दिनांक 15.02.2019 को अधिसूचना प्रकाशित करते हुए मध्यप्रदेश राज्य में विशिष्ठ अनुतोष अधिनियम, यथा संशोधित 2018 (Specific Relief Act, as amended 2018) के अंतर्गत जिला स्तर पर 50 न्यायाधीशों को पदाभिहित किया गया।
- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किये गये "मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्ते, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 2017 विभाग द्वारा दिनांक 26.04.2019 को राजपत्र में प्रकाशित किये गये।

- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त नवीन नियम प्रभावशील होने से उच्च न्यायालय की स्थापना पर निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त नवीन 37 पदों का सृजन किया गया है :–

क्र.	नवीन पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान एवं ग्रेड–पे
1.	रजिस्ट्रार–कम–प्रिंसिपल प्रायवेट सेक्रेटरी	1	37400-67000-8700
2.	ज्वाइंट रजिस्ट्रार (मिनिस्ट्रीयल)	3	15600-39100+7600
3.	डिप्यूटी रजिस्ट्रार (मिनिस्ट्रीयल)	6	15600-39100+6600
4.	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (मिनिस्ट्रीयल)	24	15600-39100+5400
5.	चीफ लाइब्रेरियन	1	15600-39100+6600
6.	फर्राश	1	4440-7440-1300
7.	चौकीदार (हाईकोर्ट + एमपीएसजेए)	1	4440-7440-1300
	योग	**37**	

- The Madhya Pradesh District Court Technical Manpower (Appointment & Conditions of Service) Rules, 2019 का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 28.06.2019 को किया गया।
- The Madhya Pradesh District Court Establishment (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2016 का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 28.06.2019 को किया गया।
- राज्य के चयनियत जिला जेलों एवं उप–जेलों में विडियों कान्फ्रेसिंग सिस्टम स्थापित करके विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से कार्यवाही चल रही है।
- केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत न्यायिक अधोसंरचना के सुदृढीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालयों के नवीन भवनों हेतु रूपये 93,14,60,726/– की नवीन/पुनरीक्षित स्वीकृतियां तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासगृहों के निर्माण हेतु रूपये 58,08,000/– की नवीन/पुनरीक्षित स्वीकृतियां जारी की गई है।
- उच्च न्यायालय के भवनों के अनुरक्षण हेतु रूपये 5,69,12,219/– एवं माननीय न्यायाधिपतिगण के आवासगृहों के अनुरक्षण हेतु रूपये 2,16,85,531/– की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई।

- अधीनस्थ न्यायालयों के भवनों के अनुरक्षण हेतु रूपये 7,81,06,277/–एवं अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के आवासगृहों के अनुरक्षण हेतु रूपये 2,64,31,887/– की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई।
- प्रदेश में ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश स्तर के 07 वाणिज्यिक न्यायालयों एवं जिला न्यायाधीश स्तर के 05 वाणिज्यिक न्यायालयों तथा 05 अपीलीय न्यायालयों का गठन किया गया एवं ऑनलाईन केस फाईलिंग की प्रकिया प्रारंभ की गई है।
- सिविल जज वर्ग– 2 (प्रवेश–स्तर) परीक्षा, 2018 में चयनित 113 अभ्यार्थियों में से 113 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है।
- सिविल जज वर्ग– 2 (प्रवेश–स्तर) परीक्षा, 2019 में चयनित 157 अभ्यार्थियों में से 154 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है। शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- अपर जिला न्यायाधीश (प्रवेश–स्तर) परीक्षा, 2018 में चयनित 06 अभ्यर्थियों में से 03 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है। शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

न्यायिक शाखा (दो)

न्यायिक शाखा–(दो) की जानकारी निम्नानुसार है:–

न्यायिक शाखा–दो द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में स्थाई अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता तथा मध्यप्रदेश राज्य में सरकारी काउन्सेल के रूप में महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय/ उप शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति की जाती है। प्रदेश में नोटरी नियुक्ति/नोटरी लाइसेंस नवीनीकरण तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24(3) के अन्तर्गत लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नियुक्ति तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 24(8) के अन्तर्गत अधिवक्ताओं की नियुक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में एवं विशेष न्यायालय में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक तथा विशेष न्यायालयों के लिए विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियुक्ति किये जाने संबंधी कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिवक्ता पंचायत में की गई घोषणाओं से संबंधी में कार्य तथा वचन–पत्र के विधि विभाग से संबंधित बिन्दुओं एवं मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 के क्रियान्वयन तथा राज्य सभा/लोक सभा/विधानसभा के प्रश्नों संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में 08–अति वरिष्ठ पैनल अधिवक्तागण, 23–वरिष्ठ पैनल अधिवक्तागण, 05–अतिरिक्त महाधिवक्तागण, 04–उपमहाधिवक्ता गण, 5 स्थायी अधिवक्तागण और 61– कनिष्ठ पैनल अधिवक्तागण राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये गये हैं।
- मध्यप्रदेश में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालयों हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता –10, उपमहाधिवक्ता – 11, शासकीय अधिवक्ता – 122 , उपशासकीय अधिवक्ता – 15 तथा 204 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई।
- मध्यप्रदेश में कुल 2500 नोटरी के पद स्वीकृत हैं। जिसके संबंध में समय–समय पर नियुक्ति एवं नोटरी लाइसेंस नवीनीकरण की कार्यवाही निरंतर की जाती है।
- त्वरित न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिये लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विर्निदिष्ट अनन्य विशेष 25 न्यायालयों में 28 विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति तथा महिलाओं से अन्य अपराधों की जांच/विचारण हेतु विर्निदिष्ट अनन्य विशेष 28 न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई। विशेष न्यायालय (अत्याचार निवारण) में 46 विशेष लोक अभियोजक/ 37 विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्रम तथा उपभोक्ता फोरम न्यायालय में 7 पैनल अधिवक्ता, सत्र/आपराधिक प्रकरणों में 7 विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की गई।

- वचन पत्र के बिन्दु क्रमांक 39.12 में राज्य में प्रतिवर्ष 26 नवम्बर (संविधान दिवस) के साथा–साथ न्याय प्रशासन, सामाजिक समानता एवं विधिक जागरूकता के क्षेत्र में अधिवक्ताओं के अमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से अधिवक्ता दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन 8 नवम्बर, 2019 के राजपत्र में किया गया।

मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम, 2012 के क्रियान्वयन हेतु –

- मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रस्ताव अनुसार दिनांक 18.10.2019 को कुल 436 मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को एक–एक लाख रूपये की सहायता राशि के मान से कुल रूपये 4,36,00,000/–(चार करोड़ छत्तीस लाख मात्र) के आदेश जारी किये गयें

विधायन संबंधी कार्य

- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
- मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019
- दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019

प्रारूपण शाखा

अध्याय–एक

भाग –अ

इस भाग में मुख्यतः प्रारूपण शाखा का कार्य होता है :–

इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेश परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

अध्याय–तीन

कार्य एवं उपलब्धियां

इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये जाने वाले अध्यादेश का परिमार्जन करना तथा उन्हें प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है ।

2. प्रारूपण शाखा में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य भी किया जाता है :–

(1) संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने पर उसके अनुसमर्थन का संकल्प राज्य विधान सभा में पारित कराना ।

(2) विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजने का कार्य ।

(3) राज्य विधेयकों, अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन ।

(4) विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजने के लिए भारत सरकार से पत्र व्यवहार ।

(5) राजपत्र में छपने वाले अधिनियमों एवं अध्यादेशों के त्रुटिपूर्ण पाठ का शुद्धि – पत्र बनाने का कार्य।

(6) केन्द्रीय अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में पुनःप्रकाशन का कार्य।

3. 31 दिसम्बरर, 2019 तक विभिन्न विभागों के निम्न विधेयकों एवं अध्यादेश के प्रारूपों का परीक्षण किया गया एवं उनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्धग कराये गये –

अध्यादेश	–	16
विधेयक	–	43

4. वर्ष 2019 में कुल 7 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये ।

5. वर्ष 2019 में कुल 42 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किए गए तथा 31 दिसम्बर, 2019 तक 23 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके है।

6. वर्ष 2019 तक की स्थिति में निम्निलिखित विधेयक राष्ट्रापति महोदय की अनुमति हेतु भारत सरकार में लंबित है:–

(1) मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010)

(2) मध्यप्रदेश दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 26 सन् 2017)

(3) मध्यप्रदेश दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019)

———

पुस्तकालय शाखा

म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का पुस्तकालय विधि पुस्तकों के क्षेत्र में राज्य का एक बड़ा विभागीय पुस्तकालय है। पुस्तकालय में लगभग एक लाख से ज्यादा विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पत्रिकाऐं तथा राजपत्रों का समावेश है। पुस्तकालय में विशेषतः मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, इन्दौर, ग्वालियर, होलकर राज्य, सी.पी. एण्ड बरार तथा रियासत के पुराने साहित्य का भी संकलन उपलब्ध है। 2010 के बाद राजपत्र एम.पी. गवर्मेन्ट प्रेस की वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है।

पुस्तकालय शाखा द्वारा विधि परामर्शी के कार्यो हेतु व अन्य नस्तियों के निराकरण हेतु पुस्तकों का आदान–प्रदान किया जाता है। विभाग के अलावा अन्य विभागों, अधिकरण और विधि आयोग आदि को संदर्भ सेवा प्रदाय की जाती है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश राज्य के तथा केन्द्र के मूल अधिनियमों तथा नियमों पर समय–समय पर किये गये संशोधन यथास्थान लगाने का कार्य मुख्यरूप से होता है। शाखा द्वारा मध्यप्रदेश अधिनियमों का कम्प्यूटर पर सूचीकरण का कार्य चल रहा है। विभाग के पुस्तकालय को ई–ग्रंथालय बनाए जाने हेतु पुस्तकों की प्रविष्टियां एन.आई.सी से प्राप्त साफ्टवेयर पर की जा रही है।

पुस्तकालय को अद्यतन बनाने के लिए लगभग 18 प्रकार की विधि पत्रिकाएं क्रय की जाती हैं तथा अद्यतन विधि पुस्तकें समय–समय पर पुस्तक चयन समिति के माध्यम से क्रय की जाती हैं।

अभियोजन शाखा

लोकायुक्त/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एस.टी.एफ. एवं सी.बी.आई. तथा जिला दण्डाधिकारियों से प्राप्त प्रकरण सा.प्र.वि. के परिपत्र कमांक एफ–15–1/2014/1/10 दिनांक 05.09.2014 एवं 21.04.2017 के अनुकम में अभियोजन स्वीकृति से संबंधित कुल 1143 प्रकरण प्राप्त हुए, जो अवलोकन एवं संबंधित विभागों से होने के कारण प्रशासकीय विभागों को भेजे गए तथा सा.प्र.वि. के परिपत्र दिनांक 05.09.2014 की कण्डिका–4 के अनुकम में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रकरणों में अभिमत दिया गया।

प्रशासकीय विभागों से अभियोजन स्वीकृति जारी कर, अभियोजन स्वीकृति के आदेश इस विभाग को सूचनार्थ प्रेषित किये गये हैं, जिस पर आवश्यक कार्यवाही कर नस्तीबद्ध किये गये हैं।

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत प्रकरण प्रत्याहरण से संबंधित 667 प्रकरण अभिमत हेतु प्राप्त हुए, सभी प्रकरणों में अभिमत दिया गया तथा प्रकरण वापसी से संबंधित अन्य 466 पत्र प्राप्त हुए, जिनमें सभी में आवश्यक कार्यवाही की गई।

जेल मेन्यूअल के नियम 361–362 एवं 775 के अंतर्गत समयपूर्व मुक्ति हेतु कुल 07 प्रकरण अभिमत हेतु प्राप्त हुए, सभी प्रकरणों में अभिमत दिया गया है तथा 16 अन्य पत्र प्राप्त हुए, जिनमें सभी में आवश्यक कार्यवाही की गई है।

इस प्रकार अभियोजन शाखा में कुल 2299 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2299 प्रकरण निराकृत किए गए।

मत शाखा

मत शाखा की जानकारी निम्नानुसार है :–

मत शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरणों में मत देने का कार्य किया जाता हैं। प्रमुख सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों पर परिक्षण किया जाकर प्रमुख सचिव (विधि परामर्शी) स्तर पर अंतिम मत दिया जाता हैं। परिमार्जन हेतु विधिक्षा शाखा से प्राप्त नस्तियों में भी आवश्यक विधिक मत शाखा द्वारा यथा निर्देशित प्रदान किये जाते हैं।

मत शाखा में शासन के विभिन्न विभागों, मंत्रालय से 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक 249 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिसमें से 236 प्रकरणों में अभिमत दिया जाकर संबंधित विभागों को, मंत्रालय को भेजे गये हैं, तथा शेष 13 प्रकरणों में अभिमत दिये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

अनुवाद शाखा (मुख्य विधायन)

मध्यप्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों के हिन्दी अनुवाद तैयार करना तथा उनके शुद्धि–पत्र बनाने आदि का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को प्रस्तुत दया याचिकाओं और मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत अशासकीय विधेयकों के अंग्रेजी पाठ तैयार करने का कार्य भी इस शाखा को सौंपा गया है।

1. 31 दिसम्बर 2019 तक विभिन्न विभागों के 16 अध्यादेश एवम् 43 विधेयकों के हिन्दी पाठ के प्रारूपों का परीक्षण किया गया एवं उनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराए गए।
2. वर्ष 2019 में कुल 7 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए।
3. वर्ष 2019 में कुल 42 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किए गए तथा 31 दिसम्बर 2019 तक 23 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

हिन्दी विधायी समिति शाखा

मध्यप्रदेश शासन हिन्दी विधायी समिति शाखा को, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मध्यप्रदेश के मूलतः अंग्रेजी में पारित अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश की घटक इकाइयों में प्रवृत्त अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश पर विस्तारित तथा मध्यप्रदेश द्वारा संशोधित/समायोजित केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करने और उनका राजपत्र में पुनः प्रकाशन कराने का कार्य सौंपा गया है। हिन्दी विधायी समिति शाखा के द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद का मध्यप्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशन कराया जाता है।

विधीक्षा शाखा (हिन्दी) अनुवाद

इस शाखा में नियमों, विनियमों, अधिनियमों, उपविधियों, आदेशों तथा भर्ती नियमों की अधिसूचनाओं के हिन्दी परिमार्जन/अनुवाद का कार्य किया जाता है।

1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल वास्तविक नस्तियों की संख्या 180 है (जिसमें से 153 कम्प्यूटर पर आनलाईन दर्शित हैं)। उक्त नियमों, विनियमों, अधिनियमों, उपविधियों, आदेशों तथा भर्ती नियमों की अधिसूचनाओं का परीक्षण कर उनका परिमार्जित हिन्दी पाठ अनुवाद सहित उपलब्ध कराया गया है।

विधीक्षा शाखा (अंग्रेजी)

अध्याय–एक

भाग–अ

इस शाखा में शासन के विभागों से प्राप्त भर्ती नियमों, विनियमों, उपविधियों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं आदि अधीनस्थ विधायन के अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन किया जाता है।

अध्याय–तीन

कार्य एवं उपलब्धियां

इस शाखा में मुख्य रूप से प्रत्यायोजित विधान से संबंधित कार्य होता है। इसके अंतर्गत प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नियमों, विनियमों, आदेशों, उपविधियों एवं अधिसूचनाओं के प्रारूपों के अंग्रेजी पाठ का परिमार्जन किया जाता है तथा परिमार्जन पश्चात् नस्ती हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ सहित प्रशासकीय विभाग को वापस की जाती है।

वर्ष 2019 में कुल 353 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 346 प्रकरणों में अंग्रेजीप्रारूपों का परिमार्जन कर उनके हिन्दी अनुवाद के साथ नस्ती संबंधित प्रशासकीय विभागों को वापस की जा चुकी है तथा 7 प्रकरणों में परिमार्जन एवं अनुवाद का कार्य चल रहा है।

स्थापना शाखा

1. मध्यप्रदेश शासन कार्य (आबंटन) नियम के अनुसार इक्कीस–विधि और विधायी कार्य विभाग में म.प्र. राज्य विधिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 2010, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 2010 तथा म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1978 में शामिल सेवाएं, संवर्ग पद का प्रशासन किया जाता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्तियॉं, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण वेतन, अवकाश, अवकाश नगदीकरण, प्रतिनियुक्तियॉं, पदोन्नतियॉं, समयमान, भविष्य निधियों, प्रशिक्षण, दण्ड तथा अभ्यावेदन इत्यादि विषयों से संबंधित कार्यवाही की जाती है।

2. कार्यालय में शासकीय सेवकों की उपस्थिति के लिए पेपरलेस बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया जा रहा है।

3. विधि विभाग का कार्य कम्प्यूटर पर किए जाने के लिए मेप–आई टी संस्था से विधि विभाग के 110 शासकीय सेवकों को कम्प्यूटर उपयोग में प्रशिक्षित किया गया है। समस्त शासकीय सेवका प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए। कार्य में त्वरित गति एंव कार्य सुविधा के समस्त शासकीय सेवको को पृथक–पृथक कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये है।

4. शासकीय सेवकों हेतु आकस्मिक अवकाश/ऐच्छिक अवकाश एवं अन्य अवकाश के आवेदन तथा उनकी स्वीकृति एवं लेखांकन को पूर्णतः पेपर लेस (कम्प्यूटराईज) किया गया है।

5. फाईलों कि आवक–जावक को मैनुअल रजिस्टर पंजी से पूर्णतः हटाते हुए पेपर लेस आवक जावक को ऑनलाईन कर फाईल ट्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। विधि विभाग द्वारा कार्यवाही उपरांत संबंधित विभागों को भेजे जाने वाली फाईलें, पत्र, आदेश इत्यादि को स्थायी पंजी नम्बर कर पूर्ण कार्यवाही होने के उपरांत संबंधित विभाग प्रमुख को एस.एम.एस भी स्वतः प्रेषित किया जाता है।

6. कार्यालय के समस्त शासकीय सेवकों को स्वयं की वेतन पर्ची प्राप्त किए जाने के लिए आयुक्त, कोष एवं लेखा द्वारा नवीन प्रणाली आई एफ एम एस से लिंक कर संचालित कराई जा रही है।

7. विभाग के सभी शासकीय सेवकों के एन.आई.सी सर्वर पर अधिकारिक ई–मेल बनाये गए तथा विभाग के लिए File Tracking Portal पर नोटिस बोर्ड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है, जिस पर विभाग के सर्कुलर, आदेश आदि जारी होने के दिनांक पर ऑनलाईन एवं संबंधित के ई–मेल पर उपलब्ध रहते है।

8. विभाग से वर्ष 2019 में चतुर्थ श्रेणी से सेवानिवृत्त 02 शासकीय सेवकों को संभागीय पेंशन भुगतान अधिकारी से पेंशन प्राधिकृत आदेश, ग्रेच्युटी आदेश जारी कराकर सेवानिवृत्त तिथि को ही प्रदान कराये गए हैं।

9. शासकीय सेवा में रहते हुए 3 शासकीय सेवकों की आकस्मिक मृत्यु उपरांत उनके योग्य पुत्र/पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है।

10. विधि विभाग के 1 शासकीय सेवक पर विभागीय जॉच प्रचलित है ।

11. विधि विभाग में सहा.ग्रेड–3, डाटा ऐन्ट्री आपरेटर एवं अंग्रेजी स्टेनोग्राफर कुल 32 नवीन नियुक्तियां की गई है।

12. समस्त संवर्ग/सेवा हेतु पदक्रम सूची (प्रावधिक) 01.01.2016 की स्थिति में जारी की गयी।

13. "मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण निधि कल्याण निधि–2012" के अंतर्गत मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को एवं गंभीर बीमारी से पीडित अधिवक्ताओं के ईलाज हेतु शत–प्रतिशत अनुदान **बी सी ओ कोड 2101 की योजना –7389** वित्त वर्ष 2019–2020 में दिसम्बर, 2020 तक राशि रूपए 3,47,00000 करोड (तीन करोड सैतासी लाख केवल) का ई–भुगतान किया गया है।

14. जिला अभिभाषक संघों को पुस्तकालय हेतु पुस्तके क्रय करने के लिए शत–प्रतिशत **बी सी ओ कोड 2101 की योजना–2918** अभिभाषक संघों को अनुदान राशि कुल रू 5,25,000/– (पांच लाख पच्चीस हजार केवल) का ई–भुगतान किया गया है।

15. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधि सहायता तथा विधिक सलाह उपलब्ध कराने हेतु संचालित मांग संख्या–29 की योजना – 3255 के अंतर्गत विभिन्न मदों में शत–प्रतिशत राशि रू 24,87,19,300/– (चौबीस करोड सतासी लाख उन्नीस हजार तीन सौ केवल) की अनुदान राशि का ई–भुगतान किया गया है।

याचिका शाखा

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा या शासन के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने की कार्यवाही की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन के विरूद्ध पारित निर्णयों के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका के संबंध में समुचित कार्यवाही तथा ऐसी कार्यवाही करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग की ओर से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर मत दिया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय मे राज्य शासन की ओर से तथा राज्य शासन के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी करना तथा उच्चतम न्यायालय में फीस आदि का भुगतान करने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

वित्त वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 में निम्नानुसार कार्य सम्पन्न किये गये :–

शाखा में प्राप्त कुल प्रकरण –8437

स. कं	प्रकरणों का विवरण	निपटाये गये प्रकरण
1.	**माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाही का विवरणः** क–विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई जिनकी संख्या ख–वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति की गई जिनकी संख्या	 109 17
2.	**माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियरः** क– अवमानना प्रकरणों में प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये गये जिनकी संख्या ख– जिन प्रकरणों में पुर्नविलोकन याचिकाएं एवं रिट अपील हेतु आदेश जारी किये गये जिनकी संख्या ग– जिन प्रकरणों में विधि सम्मत अभिमत दिये जाने के उपरांत नस्तियाँ लौटाई गई जिनकी संख्या घ– जिन प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये (याचिकाऐं)	 176 206 117 3001
3.	**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में प्रतिरक्षण हेतु प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रकरणः** क– जिन प्रकरणों मे अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी किये जिनकी संख्या ख– केवियट दायर करने के संबंध में महाधिवक्ता म.प्र. को निर्देश जारी किये जिनकी संख्या	 22 06

4.	**केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणः** क– राज्य सरकार की ओर से प्रभावी प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी किये गये, जिनकी संख्य	17
5.	**शासकीय अधिवक्ताओं को फीस का भुगतानः** क– समय–समय पर प्रकरण में अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान की कार्यवाही की गई प्रकरणों की संख्या	38
8.	**विविध एवं अन्य प्रकरणों की संख्या**	2542
9.	**सूचनार्थ पत्रों की संख्या**	2186
	कुल योग	8437

सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया।

सिविल शाखा

सिविल शाखा में मुख्य रूप से विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में लंबित सिविल मामलों में अपील/रिवीजन/याचिका पेश की जाती है तथा राज्य के विरूद्ध लंबित मामलों में प्रतिरक्षण के आदेश जारी किये जाते है।

विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन हेतु वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक कार्य विवरण :–

कुल प्रकरण – 1599	निपटाये गये – 1599	शाखा में प्राप्त लंबित प्रकरण – निल

क.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों/ नस्तियों की संख्या
1.	**माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाही का विवरण :** 1– विशेष अनुमति याचिका प्रकरण में दायर करने की अनुमति आदेश जारी किये गये। 2– विशेष अनुमति याचिका प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	 30 67
2.	**नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रकरणों में की गई कार्यवाही :** 1– नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किये जाने के आदेश। 2– नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में अधिवक्ता की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये। 3– जिला न्यायालय नई दिल्ली में प्रतिरक्षण आदेश 4– माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रतिरक्षण आदेश 5– सेन्ट्रल सेल्स अथॉरिटी नई दिल्ली में दायर प्रकरण में प्रतिरक्षण। 6– माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रचलित प्रकरणों में प्रतिरक्षण। 7– अन्यथा अधिवक्ता की नियुक्ति उनकी सेवा शर्तो के अधीन किये जाने हेतु। 8– पत्रों के संबंध में पत्र व्यवहार किये जाने संबंधी कार्यवाही। 9– अन्य पत्रों पर कार्यवाही।	 08 11 02 07 02 04 07 50 130

03.	माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर : क– अवमानना प्रकरणों में प्रतिरक्षण किये गये जाने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये गये। ख– जिन प्रकरणों में द्वितीय अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका एवं प्रस्तुत रिट अपील हेतु आदेश जारी किये गये। ग– जिन प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये (याचिकाएँ)।	— 261 442
04.	कार्यालय कलेक्टर व जिलों से संबंधित मामलें जिनमें प्रशासकीय विभाग के माध्यम से प्रस्ताव मंगवायें जाने हेतु निर्देश दिये गये।	165
05.	सूचनार्थ पत्र	413
	कुल योग	1599

सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया

आपराधिक शाखा

01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक किये गये कार्य का विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही :–

क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों/नस्तियों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष अनुमति याचिका प्रस्तावों पर परीक्षण किया गया।	68
2.	मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिकाओं /अपील प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	461
3.	महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, उप महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ग्वालियर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों जिन्हें नस्तिबद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया था। (रिपोर्ट प्रकरण) जो परीक्षण के उपरांत नस्तिबद्ध किये गये।	417

(ब) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर के समक्ष कार्यवाही :–

क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों/नस्तियों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा अपील/दांडिक पुनरीक्षण प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी किये गये।	1928
2.	मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	84
3.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र एवं सूचनार्थ पत्रों पर की गई कार्यवाही।	2811
4.	अन्य प्रपत्र एवं स्थाई अधिवक्ताओं की फीस पर की गई कार्यवाही।	26
	कुल संख्या	5795

विभागाध्यक्ष कार्यालय–मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल

भाग–एक

विभागीय संरचना :–

अध्यक्ष	:	मान0 न्यायमूर्ति श्री एम.के.मुदगल
उपाध्यक्ष	:	मान0 सुश्री सुषमा खोसला
सदस्यगण	:	(1) मान0 श्री पी.के.वर्मा (न्यायिक)
		(2) मान0 श्री आर.के.व्यास (तकनीकी)
		(3) मान0 श्री बी.पी.पटेल (तकनीकी)
रजिस्ट्रार	:	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह
डिप्टी रजिस्ट्रार	:	श्री एम.एस.परिहार

अधीनस्थ कार्यालय : निरंक

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपकम/संस्थाओं का विवरण : निरंक

विभाग के दायित्व : –

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी:–

म.प्र.माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम,1983 (अधिनियम कमांक 29/1983) 1 मार्च 1985 को प्रभावशील हुआ तथा उसी दिन अधिकरण का गठन हुआ। अधिनियम के अधीन विवाद से अभिप्रेत है रू. 50,000/– या उससे अधिक मूल्य के किसी दावे से संबंधित कोई ऐसा विवाद जो किसी संकर्म संविदा (वर्क्स कान्ट्रेक्ट) या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन से उद्भूत हुआ हो तथा जिनका एक पक्षकार राज्य सरकार अथवा पूर्णतः या अंशतः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई लोक उपकम हो, का निराकरण किया जाता है। अधिकरण की दो खण्डपीठें, यथा–खण्डपीठ **'पी'** तथा खण्डपीठ **'आई'** मुख्यालय भोपाल में ही संचालित हैं। अधिनियम की धारा–13 के प्रावधानों के अन्तर्गत जबभी सुविधाजनक अथवा आवश्यक हो, मान. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिकरण की सर्किट बेंच राज्य के अन्दर अन्यत्र स्थान पर भी सुनवाई हेतु नियत की जाती हैं।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

31.12.2018 को लंबित निर्देश प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2019 में पंजीकृत निर्देश प्रकरणों की संख्या	पुनर्स्थापित निर्देश प्रकरणों की संख्या	कुल निर्देश प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2019 में निराकृत निर्देश प्रकरणों की संख्या	31.12.2018 को लंबित विविध न्यायिक प्रकरणों (MJC) की संख्या	वर्ष 2019 में पंजीकृत विविध न्यायिक प्रकरणों (MJC) की संख्या	कुल विविध प्रकरणों (MJC) की संख्या	वर्ष 2019 में निराकृत विविध प्रकरणों (MJC) की संख्या	वर्ष 2019 में पंजीकृत प्रकरणों का वाद मूल्यांकन (रू.)	दावा/प्रतिदावा में शासन को प्राप्त कुल न्याया शुल्क (रू.)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(1)
883	92	04	979	79	33	50	83	27	102965008904.00	6374772.00

भाग–दो

वर्ष 2019–2020 का आय व्यय बजट (एक दृष्टि में)

वर्ष	बजट आंबटन	व्यय	
2019–20	रू. 53559000.00	रू. 34843082.00	आयोजनेत्तर

(दिसम्बर, 2019 की स्थिति में)

भाग–तीन

राज्य योजनाएँ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

(अ)	राज्य योजनाएँ	–	निरंक
(ब)	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	–	निरंक
(स)	विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएँ	–	निरंक
(द)	विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएँ/परियोजनाएँ	–	निरंक
(इ)	अन्य योजनाएँ–	–	निरंक

भाग–चार

सामान्य प्रशासन विषय

(जॉच समितियॉ, किए गए अध्ययन आदि अंकित किये जाएँ) निरंक

भाग–पॉच

अभिनव योजना

(विभाग द्वारा कोई अभिनव योजना शुरू की गई हो अथवा की जाने वाली हो उसको दर्शाया जाए) निरंक

भाग–छः

(विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए) निरंक

भाग–सात

सारांश

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) के तहत सरकार का यह दायित्व है, कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह पाये। उसे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराकर सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराई जायें। तदानुसार मध्यपदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1997 के प्रावधानानुसार समाज के कमजोर वर्ग व आर्थिक रूप से गरीब असहाय, पीड़ित व्यक्तियों को समानता व समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराने के लिये निःशुल्क विधिक सेवा (विधिक सहायता/सलाह) उपलब्ध कराई जाती है। विधिक सहायता योजना के अंतर्गत संचालित एवं क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभांवित कराया जाकर उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक महोदय, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देशन में समाज के कमजोर वर्ग एवं गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजनांतर्गत (विधिक सेवा–सहायता/ सलाह), लोक अदालत योजना, विधिक साक्षरता शिविर एवं अन्य योजनाऐं मध्यप्रदेश राज्य में संचालित की गई है, उक्त योजनाओं का प्रचार–प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया गया है तथा दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कर आम जनता को कानूनी जानकारी प्रदान की गई है तथा लोगो को लाभांवित कराया गया है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार योजनाएँ/कार्यक्रम संचालित एवं क्रियान्वित है:–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनायें एवं कार्यक्रम

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजना एवं उसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है :–

(अ.) विधिक सेवायें–

1. विधिक सहायता/सलाह।
2. पारिवारिक विवाद समाधन केन्द्र।
3. जिला विधिक परामर्श केन्द्र।
4. मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता।
5. लीगल एड क्लीनिक।
6. महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम।
7. श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ कार्यक्रम ।
8. मीडियशन कार्यक्रम।

(ब.) लोक अदालत–

1. नेशनल लोक अदालत।
2. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।
3. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22 बी) के अंतर्गत।
4. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।
5. जेल लोक अदालत।
6. मोबाइल लोक अदालत।
7. प्ली–बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण।

(स.) विधिक साक्षरता।

1. विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर।
2. लघु विधिक साक्षरता शिविर।
3. मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर।
4. विवाद विहीन ग्राम योजना।
5. प्रचार–प्रसार कार्यक्रम।

मध्यप्रदेश राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसके अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन निम्नानुसार चार स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है :–

1–	मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	राज्य स्तर
2–	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	उच्च न्यायालय स्तर
3–	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	जिला स्तर
4–	तहसील विधिक सेवा समिति	तहसील स्तर

"योजनायें एवं कार्यक्रम"

(अ.) विधिक सेवायें–

(1) विधिक सहायता एवं सलाह :–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा समान्य वर्ग के साथ–साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरूद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है।

विधिक सहायता/सलाह कौन व्यक्तिं प्राप्त कर सकता है ?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन ऐसा व्यक्ति विधिक सहायता/सलाह प्राप्त कर सकता है :–

1– जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है,
2– ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो,
3– महिला, बालक हो,
4– ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ्य या असमर्थ है निर्योग्य है ।

निर्योग्य का तात्पर्य है :–

(क) अन्धापन, (ख) कमजोर दिखाई देना, (ग) जिसे कुष्टरोग है, (घ) कम सुनाई देना, (ड.) जो चल फिर नहीं सकता, (च) जो दिमागी रूप से बीमार हो।

5– ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है,
6– ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है (फैक्टरी, कम्पनी में काम करता है)
7– ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी है,
8– ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्षभर की आमदनी **1,00,000/–(रूपये एक लाख)** से ज्यादा नहीं है।

किस तरह की विधिक सहायता मिलती है :–

विधिक सहायता के पात्र व्यक्ति जिसका प्रकरण अदालत में चल रहा है या चलाना चाहता है उसे मामले में लगने वाली :– 1. कोर्ट फीस, 2. तलवाना, 3. टाईपिंग/फोटोकॉपी खर्च, 4. गवाह खर्च, 5. अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च, 6.निर्णय/आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च, 7. वकील फीस ।

उपरोक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/अधिकरणों, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है।

(2) पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, 2001" विरचित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के साथ–साथ अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद जैसे पारिवारिक सम्पत्ति, भरण पोषण, बच्चों की सुरक्षा/देखभाल आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। इस प्रकार के पारिवारिक विवादों का निदान सद्भावपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते के आधार पर जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्रों द्वारा कराया जाता है। इस संबंध में जिले में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है। इन केन्द्रों द्वारा कराया गया समझौता गुप्त रखा जाता है, जिससे परिवार के सम्मान में ठेस नहीं पहुँचती है।

(3) जिला विधिक परामर्श केन्द योजना :–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, 2001 बनाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जिला विधिक परामर्श केन्द्र कार्यरत् है। जिला विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा सभी वर्ग के व्यक्तियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्तियों को जो अशिक्षा व अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य व अधिकार नहीं जानते तथा अपने कानूनी एवं वैधानिक अधिकारों की जानकारी से वंचित रहते है या जिन्हें किसी विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श देकर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है।

(4) मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजनाः–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, 2001" बनाई गई है। यह योजना प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में निरूद्ध बंदियों को रिमाण्ड प्रकरणों में पैरवी करने एवं जमानत के लिए आवेदन देने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति स्वतः या अपने रिश्तेदार द्वारा न्यायालय में बैठे मजिस्ट्रेट अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन देकर सहायता प्राप्त कर सकता है ।

(5) लीगल क्लीनिक :–

यह क्लीनिक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एवं उसकी दोनों खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर एवं प्रदेश के समस्त जिला न्यायालयों में कार्यरत है, जिसमें निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन कार्य दिवस में योग्य अभिभाषक बैठकर सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह देते है ।

(6) महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम–

महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में "महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई" का गठन किया गया है। यह इकाई सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्याओं का निदान करती है।

(7) श्रमिकों के विरूद्व अपराध प्रकोष्ठ कार्यक्रम :–

श्रम, विधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला कामगारों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य कराने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राही को न्याय दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में "श्रमिकों के विरूद्व अपराध प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है। कोई भी पीड़ित श्रमिक जिसके विरूद्ध अन्याय या अत्याचार हो रहा है उसे समान मजदूरी न देकर भेदभाव किया जा रहा है। वह न्याय प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये उक्त प्रकोष्ठ में जाकर आवेदन दे सकता है ।

(8) मीडियशन कार्यक्रमः–

विवादों के वैकल्पिक निराकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरणों में मध्यस्थता व आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निराकरण कराने के लिये कार्यक्रम आयोजित कराना एवं इसके लिये न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्तागण के गठित मीडियेटर्स दल को प्रशिक्षण देना।

(ब.) लोक अदालत योजनाः–

लोगों को शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, आपसी समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती है :–

(1) ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है ।
(2) ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए है (प्रीलिटिगेशन)

वर्तमान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निम्न प्रकार की लोक अदालतों का आयोजन कराया जा रहा है।

1. नेशनल लोक अदालत।
2. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।
3. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22(बी) के अंतर्गत)।
4. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।
5. जेल लोक अदालत।
6. मोबाइल/फील्ड लोक अदालत।
7. प्ली–बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत प्रकरण।

लोक अदालत के लाभ :–

1– पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है तथा दुश्मनी/वैमनस्यता समाप्त हो जाती है

2– समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है ।

3– लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्टफीस वापस हो जाती है।

4– लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश/डिक्री/अवार्ड के विरूद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती ।

5– मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है ।

(स.) विधिक साक्षरता।

(1). विधिक साक्षरता शिविर योजना :–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता स्कीम, 1999 तैयार क गई है जिसके अनुसार उच्च न्यायालय स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर शहरी गंद बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों के साथ–साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है इन शिविरों में न्यायाधीशगण अधिवक्ता, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, अधिकारीगण, महिलायें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निशक्त व्यक्ति, विधि शिक्षक, विधि विद्यार्थियों के प्रतिनिधि रहते है। विधिक साक्षरता शिविरों में अन्य वर्गो के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर उनके मौलिक एवं वैधानिक अधिकारों तथा उनके हित संरक्षण में बनाये गये विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरूक बनाया जाता है। छुआछूत, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूर, बाल विवाह आदि कुरीतियों एवं बुराईयों के साथ–साथ भरण पोषण, उपभोक्ता फोरम आदि विषयक नुक्कड़ नाटक तैयार किये गये है, जिनका जेसीज क्लब, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब ,गैर सरकारी एवं सरकारी विभागों के सहयोग से मंचन कराया जाकर लोगों को विधिक जागरूक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सेवा (सहायता/सलाह) लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर आदि योजनाओं से संबंधित गीत संगीत, ऑडियों कैसेट के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा पम्पलेट्स, पोस्टर, हैण्डबिल्स, लिट्रेचर आदि वितरित कर वृहद प्रचार प्रसार किया जाकर अन्य वर्गो के साथ–साथ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को भी जागरूक बनाया जा रहा है ।

(2). विवाद विहीन ग्राम योजना :–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 "विरचित की गई है, "विवाद विहीन ग्राम" का तात्पर्य ऐसे गांवों से है जिसमें उस गांव में रहने वाले व्यक्तियों में कोई विवाद न हो और यदि हो तो उसे आपसी सद्भाव, समझौते या लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटा लिया गया हो । यह कार्य जिला प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में किया जाता है ।

(3). प्रचार–प्रसार :–

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित एवं क्रियांवित योजनाओं का प्रचार–प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तथा समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाता है।

➢ **वित्त वर्ष 2019 (जनवरी 2019 से नवंबर 2019 तक) की भौतिक उपलब्धियाँ :–**

(अ.) विधिक सेवायें–

1– **विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना :–**

वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) कुल **1,51,045** प्रकरणों में व्यक्तियों को विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना के माध्यम से लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के **35,542** अनुसूचित जनजाति के **3,5255** एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के **80,248** के प्रकरण सम्मिलित है।

2–**पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :–**

वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) "पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र" योजनांतर्गत कुल **459** प्रकरणों का निराकरण कराया गया है, जिसमें कुल लाभान्वित व्यक्ति **236** जिसमें अनुसूचित जाति **116**, अनुसूचित जनजाति वर्ग के **107** एवं पिछड़ा **169** तथा सामान्य वर्ग के **67** प्रकरण सम्मिलित है।

3–**जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना :–**

वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना द्वारा कुल **6,432** प्रकरणों का निराकरण कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति **1307**, अनुसूचित जनजाति वर्ग के **1212** तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के **3913** प्रकरण सम्मिलित है जिसमें कुल **3913** व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया हैं।

4–मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना :–

वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) "मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना" द्वारा कुल 6600 प्रकरणों में 2056 व्यक्तियों को रिमाण्ड/जमानत हेतु विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति 337, अनुसूचित जनजाति के 442 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 1277 व्यक्ति सम्मिलित है

5–लीगल एड क्लीनिक :–

वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) "लीगल एड क्लीनिक" द्वारा कुल 20,568 आवेदन पत्रों का निराकरण कराया गया। जिसमें अनुसूचित जाति 4122 ,अनुसूचित जनजाति के 4320 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 1,2126 व्यक्ति सम्मिलित है। जिसमें कुल 23,135 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया।

6–महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई :–

वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) "महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई" द्वारा कुल 960 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए, 1140 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 202, अनुसूचित जनजाति के 56 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 882 व्यक्ति सम्मिलित है ।

7–श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ कार्यक्रम :–

वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) "श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ कार्यक्रम" द्वारा कुल 104 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए, 96 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है।

8–मीडियशन कार्यक्रम :–

वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) मीडियशन के माध्यम से कुल 19,267 प्रकरणों का निराकरण कराया गया।

(ब.) लोक अदालतों की जानकारी–

1. नेशनल लोक अदालतः–वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रत्येक तीन माह के अंतराल में सभी न्यायालयों में समस्त प्रकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया कराया जा रहा है। उपरोक्त समयांतराल में दिनांक 09 मार्च 2019, 13 जुलाई 2019, 14 सितंबर एवं 14 दिसंबर 2019 को प्रदेश में नेशनल लोक अदालतें आयोजित की गई है, उक्त नेशनल लोक अदालत में कुल 2,34,518 प्रकरणों का निराकरण कराया गया एवं राशि रू0 10,52,14,16,715/– के अवार्ड/डिक्री/मुआवजा/वसूली के आदेश पारित किए गए और कुल 3,69,753 पक्षकारों को लाभांवित कराया गया।

2. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालतः–वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) कुल 531 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 6,182 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के 1545 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1387 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 3250 प्रकरण सम्मिलित है।

3. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतः–वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) कुल 228 लोक उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत की बैठकें आयोजित की जाकर 369 प्रकरणों का निराकरण कराया गया। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के 116 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 102 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 151, प्रकरण सम्मिलित है।

4. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालतः– वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कुल 39 लोक अदालतें आयोजित की गई। जिनमें 386 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर लगभग 606 लोगों को लाभान्वित कराया गया।

5. जेल लोक अदालतः–वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) कुल 180 जेल लोक अदालतें आयोजित की गई जिनमें कुल 228 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर लगभग 265 अभियुक्त को लाभान्वित कराया गया।

6. मोबाइल/चलित लोक अदालतः– वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) में सुदुरग्रामीण क्षेत्रों में प्रकरणों के त्वरित निराकरण कराये जाने के उद्देश्य से कुल कुल 253 मोबाइल/चलित लोक अदालतें आयोजित की गई। जिसमें 370 प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति से निराकरण कराया जाकर 686 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया।

7. प्ली–बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत प्रकरणः–वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) प्ली–बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत 171 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर लगभग 70 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया।

(स.) विधिक साक्षरता शिविर योजना।

1. विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर :– वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) कुल 9,350 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर 9,40,264 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 95,770 अनुसूचित जनजाति के 73,641 एवं पिछडा तथा सामान्य वर्ग के 7,70,853 व्यक्ति सम्मिलित है।

2. लघु विधिक साक्षरता शिविरः–वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) कुल 420 लघु विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर 33,871 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 3655, अनुसूचित जनजाति के 3958 एवं पिछडा तथा सामान्य वर्ग के 26258 व्यक्ति सम्मिलित है।

3. मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविरः–वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) कुल 228 मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर 19,229 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है।

विवाद विहीन ग्राम योजना :–वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) विवाद विहीन ग्राम योजनांतर्गत किसी भी ग्राम को विवाद विहीन ग्राम घोषित नहीं किया गया है।

4. प्रचार–प्रसार कार्यक्रम :– वर्ष 2019 (माह जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक) योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिये बुकलेट, पेम्पलेट, ब्रूचर्स, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से प्रादेशिक एवं जिला तथा तहसील स्तर तक प्रचार–प्रसार कराया गया हैं, जिसके कारण से जनसामान्य एवं दूर–दराज ग्रामीण अंचलों के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं के माध्यम से लाभांवित कराया गया है।

(द.) स्थापित लीगल एड क्लीनिक एवं फन्ट ऑफिस में सेवाऐं देने वाले प्रशिक्षित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स :–

वर्तमान में कुल 1,342 लीगल एड क्लीनिक्स स्थापित एवं कार्यरत् है और वर्तमान में कुल प्रशिक्षित 4,593 पैरालीगल वॉलेन्टियर्स में से 2,269 पैरालीगल वॉलेन्टियर्स द्वारा लीगल एड क्लीनिक्स, फ्रन्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जेल/ओवजरवेजन होम्स, जे.जे.बी/चाइल्ड वेलफेयर सेंट्रर तथा अन्य स्थानों पर सेवाऐं दी जा रही है।

वित्त वर्ष 2019–2020 (अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक) की वित्तीय उपलब्धियॉः–

(वित्त वर्ष 2019–20 अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को विधिक सेवा योजनाओं /कार्यकमों में व्यय हेतु राज्य शासन द्वारा राशि रूपये 2,28,19,300/–का आवंटन प्राप्त हुआ उक्त आवंटित राशि में से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा राशि रूपये 1,48,58,440/–विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया।

मध्यप्रदेश विधि आयोग

किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत,जहां "विधि का शासन (Rule of LaW) सर्वोपरि हो वहां विधियों का निर्माण, पुनरीक्षण तथा संशोधन एक शाश्वत प्रकिया है। समाज की बदलती आवश्यकताओं/परिवर्तनों के अनुरूप विद्यमान विधियों में संशोधन/नवीन विधियों के निर्माण हेतु राज्य में विधि आयोग का पुनर्गठन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17 अप्रैल, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निम्नानुसार किया गया हैः–

विभागीय संरचनाः–

अध्यक्ष	:	मान. न्यायमूर्ति श्री वेद प्रकाश शर्मा
सदस्य सचिव	:	मान. सुश्री एन. व्ही. कौर
सहायक ग्रेड़–1	:	श्री कन्हैया लाल पाण्डेय

अधीनस्थ कार्यालय : निरंक

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम /संस्थाओं का विवरण : निरंक

विभाग के दायित्व : –

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :–

मध्यप्रदेश राज्यपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित फा. क्र. 1599 –इक्कीस – ब(दो)– 2018 द्वारा राज्य शासन ने मध्यप्रदेश विधि आयोग का गठन किया है जो निम्नानुसार हैः–

(1) अध्यक्ष
(2) एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव
(3) दो अंशकालिक सदस्य

मध्यप्रदेश राज्य विधि आयोग के लिये मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश फा. क्र. 1951– इक्कीस– ब(दो)/2018/2363, दिनांक 08/06/2018 के अनुसार कुल 30 पद सृजित किये गये हैं।

उपरोक्त सृजित किये गये 30 पद में से वर्तमान में निम्नानुसार पद भरे/कार्यरत हैं :–(1) मान. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधि आयोग (2) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश विधि आयोग (3) सहायक ग्रेड़–1 (संविदा) मध्यप्रदेश विधि आयोग एवं **आउटसोर्स पर क्रमांक 4 से 9 तक** (4) सहायक ग्रेड–3 – 2 पद (5) ड्रायवर–2 पद (6) भृत्य– 5 पद (7) फर्राश–1 पद (8) स्वीपर–1 (9) चौकीदार–1 पद पर कर्मचारी पदस्थ है।

भाग –दो
वर्ष 2019–2020 का आय व्यय बजट (एक दृष्टि में)

वर्ष	बजट आंबटन	व्यय
2019–20	2,83,85000	45,00,000 (दिसम्बर 2019 की स्थिति में)

भाग– तीन
राज्य योजनाऐं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं

(अ) राज्य योजनाऐं	निरंक
(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं	निरंक
(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाऐं	निरंक
(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं	निरंक
(इ) अन्य योजनाऐं	निरंक

भाग – चार
सामान्य प्रशासन विषय

(जांच समितियाँ, किये गये अध्ययन आदि अंकित किये जायें) निरंक

भाग – पांच
अभिनव योजना

(विभाग द्वारा कोई अभिनव योजना शुरू की गई हो अथवा की जाने वाली हो उसको दर्शाया जाए) निरंक

भाग – छः

(विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाये) निरंक

भाग – सात

फा क्रं. 1599– इक्कीस–ब (दो)–2018 द्वारा राज्य शासन ने मध्यप्रदेश विधि आयोग का गठन दिनांक 17/04/2018 को किया है। उक्त अधिसूचना कंडिका 03 (एक) के अनुसार विधि आयोग द्वारा सामान्य उपयोजन एवं महत्व के राज्य अधिनियमों का परीक्षण करना तथा ऐसी रूपरेखा सुझाना जिसके आधार पर ऐसे अधिनियमों का संशोधित, पुनरीक्षित, समेकित या अद्यतन किया जा सके का प्रस्ताव किये जाना है

विधियों के पुनरीक्षण के संबंध में सामान्य नीति का सुझाव देना। न्यायिक प्रशासन में सुधार के संबंध में सुझाव देना, न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रणाली, विधि शिक्षा प्रदान करने तथा विधि व्यवसायियों के स्तर की उन्नति के संबंध में सुझाव देना, विधि, विधायी विधिक सुधार तथा विधिक कार्यकलापों से संबंधित विषयों पर जो कि राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर समनुदेशित किये जायें, रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं कोई अन्य विषय जो राज्य शासन की और से निर्दिष्ट किये जाये, के संबंध में भी प्रस्ताव किये जाना हैं।

मध्यप्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव

मध्यप्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव एंव प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं :–

1. Suggestions /Recommendations of this commission in respect of Proposals for Amendment of The Ministry of Home Affairs, New Delhi form Law and Legislative Dept. of Govt. of M.P. in I.P.C. and Cr. P.C. (September- 2018)
2. Proposal on National Action Plan on Business & Human Rights (NAP) by 2020 (December- 2019)
3. First Report - A Proposal to Enact Law for Regulating Installation, Operation and Maintenance of Lifts and Escalators. (January- 2019)
4. Second Report– A Proposal to Enact Law for Prevention of Ragging in the Educational Institutions of Madhya Pradesh. (May- 2019)
5. Third Report- Recommendation for Repeal of Redundant and Outdated Laws. (September- 2019)
6. Forth Report- Recommendation for Repeal of Redundant and Outdated Laws. (December- 2019)

भविष्य की योजनाएं

केन्द्र प्रवर्तित योजना से प्राप्त राशि में से नवीन न्यायालय भवनों, अतिरिक्त न्यायालय कक्षों तथा न्यायाधीशों के आवासगृहों का निर्माण किया जाना तथा न्यायिक क्षेत्र के सृदृढ़ीकरण हेतु 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना।

––––––00––––––

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल—2020